न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/360/2018

उनवान

1. खेमराज पिता सुखदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रामजस पिता उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
2. हरजी पिता उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
3. शिवराज पिता उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
4. जमना पिता हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
5. भॅवर लाल पिता हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
6. हरनाथ पिता हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
7. राधाकिशन पिता हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हरुडा , जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 08/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6..2018

अधिवक्तागण :—

1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राकेश जैन प्रत्यर्थी संख्या 6
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गजसिंहपुरा पटवार हल्का सुल्तानपुरा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 310 रकबा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता उगमा, प्रतिवादी संख्या 4 से 7 तथा मृतका गोरी के नाम पर दर्ज स्थित है। आराजी नम्बर 310 के साबिक नम्बर 261 मीन रकबा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता बिलानाम दर्ज थी। सेटलमेण्ट से पूर्व संवत 2021 से 2024 की जमाबंदी में आराजी नम्बर 261 मीन रास्ता व मार्ग भूमि दर्ज स्थित थी व उससे पूर्व भी जमाबंदी संवत 2010 से 2013 में उक्त विवादित आराजी नम्बर 261 मीन गैर काबिल काश्त में दर्ज थी। सेटलमेण्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा गैर मुमकिन रास्ता को हाल खातेदारान के वली/पूर्वज हरदेव पुत्र धूला जाट के नाम पर बिन किसी हक अधिकारों से दर्ज कर दिया गया जो कानून की मंशा के विपरीत है। जबकि सेटलमेण्ट के अधिकारियों को कानूनन ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं था कि किसी रास्ते को किसी व्यक्ति के खाते में खातेदारी हक से दर्ज कर दिया जाये।

2. वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 को व उनके अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का को भी इस बारे में कई बार कहा लेकिन उनके द्वारा मात्र औपचारिकता कर दी जाती है व गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी प्रतिवादीगा के विरूद्ध वादग्रस्त आराजियात की इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। अतः मौजा गजसिंहपुरा पटवार हल्का सुल्तानपुरा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 310 रकबा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा को सेटलमेण्ट से पूर्व साबिक रेकार्ड अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया । जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण को लोक अदालत कैम्प बडला के दौरान बिना कोई विधिक कार्यवाही किये एवं किसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्रतिवादी का जवाब दावा प्राप्त किये बिना ही एवं पक्षकारान को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही संक्षिप्त तौर पर वाद पत्र को खारिज कर दिया। जबकि जो तथ्य पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है उनके आधार पर वादी के वाद पत्र मे वर्णित अभिवचन पूरी तरह साबित है क्योंकि वादी के वाद पत्र का कोई खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है इसके बावजूद वाद पत्र मात्र कयासी आधार पर खारिज कर गंभीर त्रुटि की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में यह वर्णित किया गया है कि आराजी संख्या 310 रकबा 3 बिस्वा जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता उगमा एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के नाम पर दर्ज है उसके साबिक नम्बर 261 मीन है जो गैर मुमकिन रास्ता बिलानाम दर्ज थी, लेकिन सेटलमेण्ट विभाग द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की जगह को अनाधिकृत तौर से हाल खातेदारान के पूर्वज हरदेव पिता धूला जाट के नाम पर बिना किसी अधिकार के गैर कानूनी तौर पर दर्ज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर दिया जबकि रास्ते की भूमि न तो किसी को आवंटित की जा सकती है एवं न ही रास्ते की किस्म को परिवर्तित ही किया जा सकता है यह तथ्य हाल एव साबिक रेकार्ड से ही दर्शित है लेकिन इस रिकार्डेड तथ्य को नहीं मानकर महज कयासी तौर पर यह वर्णित करते हुए कि सेटलमेण्ट हुए 40–45 साल हो चुके है और 40 सालों से वादग्रस्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी के पूर्वज रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि सेटलमेण्ट की गलती से रास्ते की भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई हो, जबकि यह स्पष्ट एवं रिकार्डेड तथ्य है कि सेटलमेण्ट से पूर्व गैर मुमकिन रास्ता किस्म रही है, जो किसी अन्य रूप में परिवर्तित ही नहीं की जा सकती है न ही परिवर्तन करने का कोई आदेश अथवा आवंटन संबंधी कोई आदेश ही रिकार्ड पर प्रस्तुत हुआ है ऐसी स्थिति में वाद पत्र को साबित नहीं मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के उपयोग की भूमि रास्ते का संरक्षक करने की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य की है फिर भी वादी ने इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष रखा है प्रकरण में राज्य सरकार भी पक्षकार है । इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में वादी ने अपने वाद को बखूबी साबित किया है उसके बावजूद भी अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों के नाम बाडे के रूप में प्रयोग मे आ रही थी एवं भू प्रबन्ध के बाद भी प्रत्यर्थीगण के बाडे के रूप में ही उपयोग में आ रही है। राजस्व रेकार्ड

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मे भी वादग्रस्त भूमि की किस्म बाडा ही अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न भू प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक संवत 2020 का अवलोकन किया । जिसमें वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 261 मीन रकबा 02 बिस्वा किस्म रास्ता दर्ज है। जिसके भू प्रबन्ध के उपरान्त हाल नम्बर 310 कायम किये गये जिसका रकबा 3 बिस्वा दर्शाया गया है एवं किस्म में बाडा अंकन किया गया है। परन्तु खसरा पत्रक की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कॉलम नम्बर 5 में किस्म दर्ज करने के दौरान कांट–छांट की गई है, जो प्रमाणित नहीं की गई है। अतः साबिक आराजी नम्बर 261 किस्म रास्ता से कॉलम संख्या 5 में किस्म बाडा किया जाना उचित नहींमाना जा सकता। रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि भू प्रबन्ध से पूर्व हाल आराजी नम्बर 310 के साबिक नम्बर 261 मीन रकबा 2 बिस्वा की किस्म रास्ता दर्ज थी । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2021 से 2024 में आराजी नम्बर 261 मीन की किस्म रास्ता अंकित की गई है।

10. उक्त खसरा कॉलम नम्बर 23 में नाम कृषक (गत भू माप पिता का नाम, जाति निवासी स्थान व श्रेणी कृषक) में बिलानाम अंकन किया गया है जिसे काटकर हरदेव पुत्र धूला कौम जाट साकिन देह अंकित किया गया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध कार्मिकों द्वारा वादग्रस्त भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की किस्म एवं गत उपभोगा मय पिता का नाम जाति में बिलानाम को काटकर प्रत्यर्थीगण के पूर्व हरदेव पुत्र धूला जाट सा0देह का नाम अंकित किया गया है जिसका भू प्रबन्ध कार्मिकों को कोई अधिकार नहीं था। जिसे ही कॉलम संख्या 24 में पुनः लिखा गया है। तत्समय खातेदार हरदेव पुत्र धूला जाट के खाते में दर्ज हाल नम्बर 310 रकबा 03 बिस्वा किस्म बाडा का साबिक रिकार्ड अनुसार साबिक आराजी नम्बर 261 मी0 2 बिस्वा से बना होना व रिकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज होना साबित होता है तथा यह बन्दोबस्त विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन किया जाना भी साबित होता है। किस्म परिवर्तन के इन्द्राज में कांट–छांट से भी किस्म परिवर्तन संदिग्ध होता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2010 से 2013 में दर्ज आराजी नम्बर 261 मीन रकबा 1 बीघा गैर काबिल काश्त दर्ज होने से गैर काबिलकाश्त भूमि का आवंटन होना संभव माना है और यह भी माना है कि यदि उक्त भूमि रास्ते की भूमि होती तो जमाबंदी संवत 2010 से 2013 में गैर काबिलकाश्त दर्ज नही होती। साथ ही वादी के द्वारा जो साबिक नक्शा मौजा गजसिंहपुरा का उपलब्ध कराया गया है, उसमें जो आराजी नम्बर 150 में से होकर जो रास्ता गजसिंहपुरा में जाता है वह आराजी नम्बर 147 में जाकर बन्द होना प्रकट आया है। आराजी नम्बर 147 आराजी नम्बर 261 काफी दूर होना उक्त नक्शा से भी स्पष्ट हुआ है। साथ ही हुरडा तहसील के सेटलमेण्ट हुए लगभग 40–50 साल हो चुके हैं। 40 सालों से वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 310 के खातेदार प्रतिवादी के पूर्वज रहे हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने यह नहीं माना है कि उक्त आराजी सेटलमेण्ट की गलती से रास्ते की भूमि प्रतिवादी के खाते में दर्ज हो गई । तदनुसार दावा वादी खारिज किया गया । मेरा विनम्र अभिमत है कि भू प्रबन्ध

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन किया जाकर गैर मुमकिन रास्ते को गैर मुमकिन बाडा दर्ज किया जाना प्रमाणित है। ऐसे किस्म परिवर्तन को विधिक नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं खसरा भू प्रबन्ध विभाग का अवलोकन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2018 को निरस्त की जाती है मौजा गजसिंहपुरा पटवार हल्का सुल्तानपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 310 रकबा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा को पुनः राजस्व रेकार्ड जमाबंदी एव नक्शा ट्रेश में किस्म रास्ता दर्ज किया जावे । डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 360 / 2018

उनवान

1. खेमराज पिता सुखदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रामजस पिता उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
2. हरजी पिता उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
3. शिवराज पिता उगमा जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
4. जमना पिता हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
5. भॅवर लाल पिता हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
6. हरनाथ पिता हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
7. राधाकिशन पिता हरदेव जाट निवासी गजसिंहपुरा तहसील हुरडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हरुडा , जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 08 / 2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6..2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 360 / 2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 27.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री गोपाल अजमेरा प्रत्थर्थी संख्या 6 के वकील श्री राकेश जैन एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

: अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2018 को निरस्त की जाती है मौजा गजसिंहपुरा पटवार हल्का सुल्तानपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 310 रकबा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाडा पुनः राजस्व रेकार्ड जमाबंदी एव नक्शा ट्रेश में किस्म रास्ता दर्ज किया जावे ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते